न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 361/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– हीराराम पुत्र मालाराम 2– नवलाराम पुत्र गंगाराम 3– भूराराम पुत्र मोतीराम 4– सुगनाराम पुत्र त्रिलोकराम 5– भंवराराम पुत्र किशनाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम छिण्डिया, तहसील बावडी जिला जोधपुर		1– तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर 2– उपखण्ड अधिकारी बावडी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय कमांक/केम्प/2018/1008 दिनांक 27–6–2018 जो शिविर प्रभारी अधिकारी, राजस्थान लोक अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार–2018 मे उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बुद्धाराम चौधरी, मानवेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

राजस्व अपील संख्या 395/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
सोनाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम छिण्डिया तहसील बावडी जिला जोधपुर		1– तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर 2– उपखण्ड अधिकारी बावडी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय कमांक/केम्प/2018/1008 दिनांक 27–6–2018 जो शिविर प्रभारी अधिकारी, राजस्थान लोक अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार–2018 मे उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–12–2020

उक्त दोनो अपीले अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित आदेश कमांक/केम्प/2018/1008 दिनांक 27–6–2018 के विरूद्ध पृथक–पृथक खातेदारो द्वारा प्रस्तुत की गई है, चूँकि उक्त दोनो अपीलो की विषयवस्तु एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने से उक्त दोनो अपीलो का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपील संख्या 361/2018 मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांटगण के खातेदारी के खसरा नंबरान 7, 62, 22, 12, 23 व 2 ग्राम छिण्डिया पटवार मण्डल सोयला तहसील बावडी मे आये हुए है । उक्त खातेदारी खेतो मे से प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार बावडी ने अपीलांटगण के खातेदारी खेतो मे से गै0मु0रास्ता घोषित करवाने एवं राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25–6–2018 को अन्तर्गत धारा 31, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं नियम 60 एच राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 का जिसमे कंदीमी के उपयोग की भूमि की किस्म परिवर्तन करने एवं नक्शे मे तरमीम बाबत विषय का सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी को राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार अभियान–2018 मे प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी ने उक्त प्रार्थना पत्र को मूल ही तहसीलदार बावडी को ग्राम छिण्डिया के सलंग्न परिशिष्ट एवं नजरी नक्शे मे वर्णित खसरान की प्रस्तावित भूमि को गै0मु0रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने बाबत आदेश दिनांक 27–6–18 को पारित कर दिये जबकि अपीलांटगण के उक्त खसरान मे अपीलांटगण के पक्के मकान बने हुए है तथा खेती के लिए कृषि नलकूप खुदे हुए है तथा खेतो के चारो ओर पत्थर की पक्की मेडबंदी के रूप दीवार बनी हुई है फिर भी बिना मौका जांच एवं निरीक्षण किये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है ।

अपील संख्या 361/2018 मे अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत मे आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलांटगण को राजस्व लोक अदालत के कोई नोटिस जारी नही किये गये और न ही सुनवाई का अवसर ही दिया और न ही लोक अदालत मे मजमे आम बयान लिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि दिनांक 27–6–2018 को ग्राम धनारीखुर्द मे राजस्व लोक अदालत का केम्प आयोजित ही नही हुआ बल्कि धनारीखुर्द मे दिनांक 11–6–2018 को कैम्प का आयोजन हुआ था जिसकी पुष्टि स्वरूप अपीलांट अधिवक्ता ने फार्म नंबर 3 के सलंग्न केम्प के आयोजन के प्रोग्राम की प्रति पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिना मौका जांच किये, बिना खातेदारो को सुने तथा बिना विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

अपील संख्या 395/2018 अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं

दस्तावेजो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार बावडी ने अपने प्रस्ताव दिनांक 25–6–2018 के जरिये मौजा छिण्डिया स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1/2 मे से कदीमी रास्ता गुजरने का हवाला दिया एवं उसी को अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानते हुए आदेश पारित कर दिया कि तदनुसार तरमीम कर दी जाये । वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार बावडी ने प्रस्तावनुमा पत्र को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी ने न तो प्रकरण दर्ज किया और न ही पक्षकारो को सुनवाई का कोई नोटिस ही दिया और उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार हु–ब–हु अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधि के आज्ञापक प्रावधानो एवं विधि के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अपील संख्या 395/2018 के अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि तहसीलदार बावडी एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी ने अपीलांट के खसरा नंबर 1/2 मे से 0.10 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु मान ली जबकि राजस्व नक्शे मे खसरा नंबर 1/2 कही पर भी नही दर्शाया एवं उक्त रास्ता आगे कहा तक जायेगा, उसका भी कोई हवाला नही दिया गया है, मात्र इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अपील संख्या 395/2018 के अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार बावडी ने अपने प्रस्ताव मे मनमर्जी से यह अंकित कर दिया कि रास्ता सार्वजनिक उपयोग के काम आ रहा है एवं मौके पर रास्ता चलायमान है जबकि अपीलांट के कब्जे व काश्त वाले भू भाग से कोई रास्ता न तो चलायमान था और न ही आगे रास्ते की आवश्यकता ही थी क्योकि अपीलांट का खेत ग्राम छिण्डिया के अंतिम छोर पर आया हुआ है वहां से आगे सरहद के मुटाम लगे हुए हैं तथा तहसीलदार स्वयं ने नक्शे मे खसरा नंबर 1 के आधे हिस्से मे रास्ता दिखाकर उस पर लाईन घुमाकर कांटछांट कर रखी है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश एवं की गई तरमीम को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत ऐसे रास्ते जो मौके पर कदीमी से चालू हैं परंतु उनका राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे रास्ते के रूप मे इन्द्राज नही है, को चिन्हित कर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने के निर्देश होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बावडी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उक्त दोनो अपीलो मे अपीलांटगण के अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार बावडी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 31, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं नियम 60 एच राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 का अवलोकन किया, जिसमे कदीमी के उपयोग की भूमि की किस्म परिवर्तन करने एवं नक्शे मे तरमीम बाबत विषय का पत्र (प्रस्ताव) अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार अभियान–2018 मे प्रस्तुत किया ।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय शिविर प्रभारी अधिकारी, रा.लो.अ.अभि. न्याय आपके द्वार–2018 एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी ने तहसीलदार बावडी के उक्त पत्र (प्रस्ताव) की पुष्ट पर ही पत्र कमांक केम्प/2018/1008 दिनांक 27–6–2018 के द्वारा "मूल ही तहसीलदार बावडी को ग्राम छिण्डिया के सलंग्न परिशिष्ट व नजरी नक्शे मे वर्णित खसरान की प्रस्तावित भूमि को गै0मु0 रास्ता परिवर्तित (घोषित) किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है" संबंधी अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिससे प्रथमदृष्ट्या यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज किये बिना, खातेदारान को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही पारित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत तथा विधि के प्रावधानो के विपरीत पारित किया हुआ होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बावडी की पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के साथ कोई मौका रिपोर्ट सलंग्न नही है जिससे कि मौतबिरान के रू–ब–रू मौका देखा गया हो, की पुष्टि होती हो । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई ग्रामवासियो का प्रस्ताव या मांग पत्र भी उपलब्ध नही है जिसके आधार पर तहसीलदार बावडी ने ग्रामवासियो की मांग पर रास्तो का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया हो । इससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका जांच किये ही प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बिना जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

वर्तमान दोनो ही अपीलो मे अपीलांटगण का यह कथन है कि हमारे खातेदारी के खसरा नंबरान मे से कोई चालू रास्ता नही है और न ही किसी पडौसी खातेदार या ग्रामवासियो को हमारे खेत मे से रास्ता की आवश्यकता है, ऐसे मे अपीलांटगण की उपस्थिति मे मौका जांच करवाया जाना न्यायोचित होगा ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो अपीले (अपील संख्या 361/2018 एवं 395/2018) स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी बावडी द्वारा पारित आदेश कमांक/केम्प/2018/1008 दिनांक 27–6–2018 मे से अपील संख्या 361/2018 मे अपीलांटगण के खातेदारी के खसरा नंबरान 7, 62, 22, 12, 23 व 2 ग्राम छिण्डिया पटवार मण्डल सोयला एवं अपील संख्या 395/2018 में अपीलांट सोनाराम के खातेदारी के खसरा नंबर 1/2 ग्राम छिण्डियां मे से गै0मु0रास्ते के रूप मे प्रस्तावित रकबे की भूमि के संबंध मे पारित किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बावडी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त दोनो ही अपीलो के अपीलांटगण की उपस्थिति मे उनके मौजा छिण्डियां स्थित खातेदारी के उपरोक्त खसरा नंबरान का मौका निरीक्षण करे तथा उन्हे सुनकर उसके खातेदारी के खसरा नंबरान की भूमि मे से यदि कोई रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है, तो उसे बंद किये बिना उसका पृथक से प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 30–12–2020 को खुले न्यायालय सुनायां गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर